Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui
SC/ST Case no. 01 of 2015
(Complain Case No.-553C/2013)
Date of Judgement : 25-05-2026
State of Bihar Through Complaint Naresh Ravidas Vs.Nago Thakur and Others

बिहार राज्य द्वारा परिवादी नरेश रविदास

बनाम

1. नागो ठाकुर, उम्र लगभग 72 वर्ष, पिता–लिटो ठाकुर
2. नारो सिंह, उम्र 47 वर्ष, पिता– स्व0 कार्तिक सिंह
3. घुटर ठाकुर उम्र 76 वर्ष, पिता– स्व0 भोला ठाकुर
4. चंडी मोदी, उम्र 68 वर्ष, पिता– स्व0 सहदेव मोदी
5. बौधी यादव, उम्र 48 वर्ष, पिता– स्व0 धतुरी यादव
6. प्रकाश यादव, उम्र 57 वर्ष, पिता– स्व0 धीरजु यादव

सभी निवासी ग्राम–विशुनपुर, थाना–खैरा, जिला– जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 380 504 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से–**श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से – **श्री नकुल ठाकुर, विद्वान अधिवक्ता**

निर्णय

1. परिवादी नरेश रविदास के द्वारा तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई के न्यायालय में दिनांक 2.5.2013 को परिवाद पत्र दाखिल किया गया, जो तत्कालीन विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी श्री विजय किशोर सिंह के न्यायालय में जांच हेतु प्रेषित किया गया। जांचोपरांत विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी ने परिवाद पत्र के सभी अभियुक्तो के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504, एवं 380 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ तथा अभियुक्तो की उपस्थिति हेतु समन का आदेश किया। दिनांक 27.1.2015 के आदेश द्वारा मामले (Case) को सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया।

Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui
SC/ST Case no. 01 of 2015
(Complain Case No.-553C/2013)
Date of Judgement : 25-05-2026
State of Bihar Through Complaint Naresh Ravidas Vs.Nago Thakur and Others

2. परिवादी के द्वारा दिये गये परिवाद पत्र के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि परिवादी, नरेश रविदास कथन किया है कि दिनांक 30.04.2013 को छः बजे शाम में वह कुरवाताड़ बाजार में था। उसके साथ उसकी पत्नी, मां एवं साला–साली थे तभी नागो ठाकुर, धुटर ठाकुर, नारो सिंह, बोधी यादव, प्रकाश यादव, चंडी मोदी आये तथा अभियुक्त घुटर ठाकुर ने उसकी कॉलर पकड़ी एवं मादरचोद चमार गाली दी तथा बाकी अभियुक्तों ने मादरचोद, बहनचोद कहते हुये उसे उसकी पत्नी एवं उसकी मां को गाली–गलॉज किया था एवं सभी अभियुक्तों ने रंगदारी के रूप में 50,000 रूपये की मांग की और कहा कि ''तुमने कोर्ट में सनहा दिया है, तुम्हे कौन बचाएगा'' तथा उसके बाद 03.05.2013 को अभियुक्तगण उसके घर में आकर मारपीट एवं लूटपाट किया। जिसमें अटैची में दस हजार रूपये एवं कपड़ा था ले गया और बगल में नया घर बना रहा था उसे भी तोड़–फोड़ कर दिया गया।

3. इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2015 को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 380, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के करने के लिए आरोप का गठन कर हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उन्होने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए सिर्फ एक साक्ष्य का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1 पुर्णिमा रविदास है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्त ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

6. बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में आपराधिक परिवाद 611C/2013 का परिवाद तथा इस परिवाद पत्र, जो द0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अन्तर्गत काण्ड अंकित करने एवं अनुसंधान हेतु संबंधित थाने को प्रेषित किया गया, में

Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui
SC/ST Case no. 01 of 2015
(Complain Case No.-553C/2013)
Date of Judgement : 25-05-2026
State of Bihar Through Complaint Naresh Ravidas Vs.Nago Thakur and Others

समर्पित आरोप पत्र को क्रमशः प्रदर्श A, B एवं मुखिया एवं सरपंच को दिये गये आवेदन की प्रति सविरोध प्रदर्श C के रूप में ग्राहय हुआ।

मंतव्य (Findings)

7. **परिवादी साक्षी संख्या 1 पूर्णिमा रविदास** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना आज से करीब 5 वर्ष पूर्व की है। समय 6 बजे शाम था। वह कुड़वाटांड बाजार करके घर जा रहे थे, साथ में उसके पति नरेश रविदास, उसकी बहन ललीता, घर का भाई बलराम रविदास था। बाजार से थोड़े दूर गए तो एक सुनशान रास्ता पड़ता है, वहां पर नागो ठाकुर, छुटटर ठाकुर, नागो सिंह, बोधी यादव, चंडी मोदी, प्रकाश यादव आये। यहां पर घेर कर गाली–गलॉज साला चमार मार देंगे करने लगा। उसके पति का कॉलर पकड़ लिया, उधर से कीचड़ उठा कर लाया और उसके पति को उझल दिया। वह छुड़ाने गए तो साली चमैन, बकचोदी, बुरचोदी तुमको भी मारेगे करने लगा। इसके पहले अभियुक्तों के विरूद्ध उसके पति ने सन्हा दिया था, क्योंकि अभियुक्तगण 50,000 रंगदारी मांग रहा था। इसी आक्रोश के चलते अभियुक्तगण उनके साथ ऐसा किया। घटना को उसके भाई बलराम, बहन ललिता ने देखा। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त धुटटर ठाकुर को पहचानती हूॅ तथा अन्य अभियुक्तों को देखकर पहचान लेगी । **प्रतिपरीक्षा (Cross examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि उसकी शादी सन् 1989 में हुई थी, उस समय उसकी उम्र 13 वर्ष थी। उस 13 वर्ष की उम्र में उसका वोटर आई कार्ड नहीं बना था। शादी के 20 वर्ष बाद उसनें परिचय पत्र बनाया। उसका दो लड़का है, लड़की नहीं है। पहला लड़का 24 वर्ष का है इसका नाम रंजीत रविदास है। छोटे लड़के का उम्र 22 वर्ष है। बड़ा वाला लड़का पूना में रहता है होटल मैनेजमेंट का काम करता है। छोटा लड़का अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। कौन से पार्ट में है नही बता सकती कही पार्ट 2 में है। वह हमेशा अपने बाल बच्चों के साथ कलकत्ता में रहती है। वहां कंपनी के घर में रहती हूॅ। उसके पति नरेश रविदास कंपनी की गाड़ी चलाते है। उसके पति रेखा एजेंसी में काम करते थे, तीन वर्ष पहले काम छोड़ दिए, अभी गॉव में रहते है। उसका गांव में पक्का मकान है, जगह जमीन भी है। उसके घर ग्राम मैनीजोर और अभियुक्त के घर की बीच की दूरी 1 कि.मी. से भी कम दूरी है अभियुक्तों के गॉव का नाम विशनपुर है। मैनीजोर गॉव कितने घर की बस्ती है नही

Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui
SC/ST Case no. 01 of 2015
(Complain Case No.-553C/2013)
Date of Judgement : 25-05-2026
State of Bihar Through Complaint Naresh Ravidas Vs.Nago Thakur and Others

जानती हूँ। करीब 200–250 घरों की बस्ती है वहां पर राजपूत, रविदास जाति के लोग है। राजपूत कितना घर है नहीं जानती। तेली, जादव और साव जाति के लोग भी है। ग्राम विशनपुर में कितने घरों की बस्ती है नहीं जानती हूँ, मैं कभी नहीं गई हूँ। मेरे पति तीन भाई है। तीनों पहले साथ थे अब अलग–अलग है तीनों अलग हुए करीब 1 वर्ष हो गए। उसके पति नरेश रविदास सबसे बड़े है। उसके बाद मुन्ना रविदास और बसंत रविदास है। ये लोग कलकत्ता में रहते है। गॉव भी आते है। उसके ससुर नहीं है। जब उसके पति कलकत्ता से आते थे तो किशनपुर गांव जाते थे। उसके पति को विशनपुर गॉव में किससे दुश्मनी थी उसे नहीं जानकारी नहीं थी। उसके पति को 5 वर्ष के पहले किससे दुश्मनी थी, वह नहीं जानती हूँ। उसके पति नरेश अभियुक्तो पर केस किए है। पहला केस किस तारीख को किए है नहीं याद है, किस वर्ष किए है नहीं पता है। दूसरा केस कब किए नहीं मालूम है। दोनों केस एक ही साथ हुआ। साल नहीं कह सकती है। पहले और दूसरे केस के बीच 5–10 दिन के अंदर में हुआ। केस का दिन, तारीख, नंबर ख्याल नहीं है, दोनों केस का दिन, तारीख, नंबर नही बता सकती है। दोनों केस में अभियुक्त एक ही है। उसनें दोनों केस में गवाही दी है, इस समय केस नंबर याद नहीं है। पति से पूछा था याद नहीं है। गवाही किस तारीख को दिया याद नहीं है। दोनों केस के गवाही देने का वर्ष नहीं बता सकती हूँ। दोनों केस करने के दिन वह और उसके पति आए, इसके अलावा और कोई नही। दोनों केश में क्या लिखा उसे नहीं पता उसके पति को पता। इसके पूर्व थाना गए वहां केश नहीं लिया तब कोर्ट में केस किए। कोर्ट में केस करने के बाद थाना नहीं गया यहीं कोर्ट में रह गया। ऐसी बात नहीं है कि उसके पति ने कोर्ट में केस किया तथा जांच के लिए पुलिस भेज दिया। इस केस में पुलिस की जांच हुई। उसमें उसका बयान नहीं हुआ। उसकी सास रूपा देवी का बयान हुआ इसके बाद किसका बयान हुआ उसे पता नहीं है। उसे नहीं जानकारी है कि पुलिस ने इस केस को झूठा पाकर कोर्ट को दे दिया। उसके गांव के बगल में कौन सी नदी है उसे नहीं पता है। यह देखा है कि उस पर एक नहर बना हुआ जो बहुत लंबा हैं। उसे नहीं जानकारी है कि कितने एकड़ में सिंचाई होती है उस नहर से। उसे नहीं पता है कि उसके नैहर मैनीजोर में वह नहर है तथा किसान वहां गेहूँ, चावल, रबी उपजाता है तथा यह भी पता नहीं है कि उस नहर के बगल में उसके पति मकान बना रहे थे, पिलर गाड़ रहे थे तथा उसे नहीं जानकारी है कि उसी बात को लेकर गॉव वाले आए तथा झगड़ा हुआ। यह भी नहीं पता है कि जब गॉव वालों ने मकान नहीं बनाने दिया तो कोर्ट में केस कर दिया तथा यह भी नहीं जानती

Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui
SC/ST Case no. 01 of 2015
(Complain Case No.-553C/2013)
Date of Judgement : 25-05-2026
State of Bihar Through Complaint Naresh Ravidas Vs.Nago Thakur and Others

कि एक केस करने के बाद दूसरा केस उसके पति द्वारा कर दिया गया। उसे नहीं मालूम है कि उसके गांव के मुखिया, सरपंच वार्ड सदस्य के पास लिखित आवेदन दिया कि सिंचाई हेतू नाले को बंद कर रहा है। अभियुक्त धुटर ठाकुर अमीन है। **उसे नहीं पता है कि बूटर ठाकुर जमीन मापने गए इसलिए इसका नाम केस मे दे दिया।** उसे नहीं पता कि झगड़ा का मूल कारण यही है। कथित घटनास्थल के उत्तर परती जमीन, दक्षिण में गॉव है 200–400 गज की दूरी पर है तथा धान का खेत है, पूरब में रोड है पश्चिम में परती जमीन है। घटना बाजार की है। धुटर ठाकुर को वह दो–चार साल से जानती है तथा एक दो अभियुक्त को जानते है। एक अभियुक्त को अमीनी होने के कारण जानता है। गॉव के अगल बगल लोगों को बताए पर वे लोग समर्थन नहीं किए। मुखिया, सरपंच को बताए तथा कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है कि जैसा उसने बयान दिया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है तथा पैन की विवाद को लेकर झूठी मुकदमा में फंसाया तथा पुलिस ने उसे असत्य पाकार न्यायालय में दिया था। ऐसी बात नहीं है कि उसके साथ कोई गाली–गलॉज नहीं हुआ तथा पति के कहने पर झूठा बयान दिया है तथा ऐसी बात नहीं है जैसा उसनें कहा है वैसी कोई घटना नहीं घटी है।

8. अब इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि अभियोजन पक्ष इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोप में सभी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है?

9. मैनें उभयपक्षों की पूर्ण बहस सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि मामले में मात्र एक अभियोजन साक्षी पूर्णिमा रविदास, जो परिवादी की पत्नी है, का साक्ष्य हुआ है। इसके अतिरिक्त परिवादी सहित किसी अन्य अभियोजन साक्षी का साक्ष्य ना करवा पाना मामले में गम्भीर संदेह पैदा करता है। मेरे विचार से परिवादी किसी भी परिवाद पत्र में उल्लिखित अभियोजन कथानक के लिये सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक साक्षी होता है तथा उसका स्वयं साक्ष्य के लिये उपस्थित ना होना पूरे मामले में गम्भीर संदेह पैदा करता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 पूर्णिमा देवी, ने अपने साक्ष्य में घटना के समय उसकी बहन ललिता एवं भाई बलराम रविदास भी थे, इसका भी समर्थन किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि एक मात्र अभियोजन साक्षी पूर्णिमा रविदास के साक्ष्य में भी गम्भीर विरोधाभाष है। अभियोजन साक्षी

Satyanarayan Sheohare
Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui
SC/ST Case no. 01 of 2015
(Complain Case No.-553C/2013)
Date of Judgement : 25-05-2026
State of Bihar Through Complaint Naresh Ravidas Vs.Nago Thakur and Others

संख्या 1 ने प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में कथन किया है कि उसके पति ने अभियुक्तो पर दो केस किये है। पैरा 24 में कथन किया है कि अभियुक्त घूटर ठाकुर अमीन है। उसे नही पता है कि अमीन नापने गये थे, इसलिये उनका नाम केस (Case) में दिया गया है। उसे यह भी नही पता है कि झगड़ा का कारण जमीन नापी था। इन सभी के आधार पर मरे विचार से परिवादी/अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 380, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे (Beyond shadow of all reasonable doubt) साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नागो ठाकुर, नारो सिंह, घुटर ठाकुर, चंडी मोदी, बौधी यादव, प्रकाश यादव के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 380, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हे एवं उनके जमानतदारों को बंध पत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित, लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–25.05.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक– 25.05.2026